प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनाक-12.09.2023

विदेश भेजने के नाम पर कूटरचित दस्तावेजों द्वारा धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक थाना कैण्ट के नेतृत्व में उ0नि0 अवधेश चन्द्र मिश्रा मय टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 380/2023 धारा 420/467/468/471/506 भादवि से संबंधित अभियुक्त संतोष श्रीवास्तव पुत्र स्व0 ओम प्रकाश लाल श्रीवस्तव निवासी 640 के0 शिव नगर कालोनी बशारतपुर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही किया जा रहा है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण -

वादी मुकदमा को विदेश भेजने के नाम पर अभियुक्तगण द्वारा 63,000/- रु0 लेकर कूटरचित एअर टिकट व कूटरचित फर्जी विजा दिया गया। वादी मुकदमा जब विदेश नही जा सके तो अपना पैसा मांगने अभियुक्त राजेश सिंह उपरोक्त के पास गये तो अभियुक्त राजेश उपरोक्त द्वारा अपने सहयोगी के साथ मिलकर वादी मुकदमा के साथ मार पीट करते हुए जान से मारने की धमकी दिया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

संतोष श्रीवास्तव पुत्र स्व0 ओम प्रकाश लाल श्रीवस्तव निवासी 640 के0 शिव नगर कालोनी बशारतपुर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण –

मु0अ0सं0- 380/2023 धारा 420/467/468/471/506 भादवि0 थाना कैण्ट

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 उ0नि0 अवधेश चन्द्र मिश्रा चौकी प्रभारी ई0कालेज थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. हे0का0 प्रभात दूबे थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर